न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

158

R-3763-I/16

प्र0क0 R ..... I/16 निगरानी

गप्पू पुत्र काना आयु 60 वर्ष जाति नायक निवासी ग्राम गोठरा तह0 व जिला श्योपुर.....आवेदक

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर श्योपुर

.....अनावेदक

निगरानी आदेश विरूद्व आदेश दिनांक 27/09/2016

न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय श्योपुर के प्र0क0

210/15–16×वी/121 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि ग्राम गोठरा तह0 व जिला श्योपुर में स्थित कृषि भूमि सर्वे क0 156/1 रकवा 1.040है0 यानी 5 वीघा भू–दान भूमि का आवेदक भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी है।

2– यह कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 158(3) सहपठित धारा 165(7) वी का इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवेदक बन्टन में प्राप्त भूमि को 10 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। आवेदक को बीमारी का इलाज करवाने हेतु रूपयों की आवश्यकता है। जिस हेतु उक्त भूमि को विक्रय करने हेतु विजय सिंह के हक में विक्रय अनुबन्ध पत्र सम्पादित कर दिया है। विक्रय की अनुमति प्रदान की जावें।

3– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदन पत्र पर से प्र0क0 210/15–16×वी/121 पर पंजीबद्व किया जाकर पारित आदेश दिनांक 27/09/16 द्वारा पटवारी मौजा को जांच कर प्रतिवेदन तहसीलदार व एस0डी0ओ0 महोदय के माध्य से भेजने का अबैध आदेश पारित कर दिया। जिससे दुखित होकर यह निगरानी उक्त आधारों के अलावा निम्न आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है ।

निगरानी के आधार–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि विवादित भूमि का बन्टन भू–दान बोर्ड द्वारा आवेदक के हक में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3763/एक/2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17-11-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 210/15–16/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर, जिला श्योपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी है, कि ग्राम गोठरा तहसील व जिला श्योपुर में स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 156/1 रकवा 1.040 है0 यानि 5 बीघा भू–दान भूमि आवेदक के भूमि स्वामी स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि है। और उसे बीमारी का इलाज कराने हेतु रूपयों की आवश्यकता है, जिस हेतु उक्त भूमि को विक्रय करने हेतु विजय सिंह के हक में विक्रय अनुबंध पत्र सम्पादित कर दिया है। इसलिये भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये। कलेक्टर श्योपुर द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र को पंजीबद्व कर मौजा पटवारी को जॉच प्रतिवेदन हेतु पत्र जारी किया है, इस प्रकार उक्त आवेदन पत्र पर विक्रय अनुमति के संबंध में कोई विचार नहीं किया गया है। बल्कि प्रकरण को विलंबित किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में उक्त आदेश एवं कार्यवाही के विरूद्व आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है। 3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उनकी ओर प्रस्तुत दस्तावेजो का विधिवत् अवलोकन किया गया। 4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक द्वारा भूमि	

विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया है, कि उसे बीमारी का इलाज करवाने हेतु रूपयों की आवश्यकता है जिस हेतु उक्त भूमि को विक्रय करने हेतु विजय सिंह को हक में विक्रय अनुबंध पत्र सम्पादित कर दिया है। इसलिये भूमि विक्रय करने की अनुमति दी जाये। आवेदक द्वारा अनुबंध पत्र एवं बीमारी के संबंध में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर अधीनस्थ न्यायालय को भूमि विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिये थी किन्तु उनके द्वारा सद्भाविक विचार किये बिना जो आदेश एवं कार्यवाही वर्तमान प्रकरण में की जा रही है, वह विधिवत् नहीं होने से निरस्त की जाये एवं आवेदक को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान की जाये।

अनावेदक म.प्र. शासन की ओर से उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया है कि कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा वर्तमान प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है। ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पुनरीक्षण विचार योग्य नहीं है। अतः प्रस्तुत पुनरीक्षण इसी स्थिर पर निरस्त किया जाये।

5– उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्कानुक्रम में देखना है कि क्या कलेक्टर श्योपुर के आदेश दिनांक 27.09.2016 के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की है। प्रकरण में जब समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे तथा बताया गया था कि आवेदक को बीमारी के कारण इलाज हेतु रूपयों की आवश्यकता है। तब ऐसी स्थिति में भूमि विक्रय की अनुमति दी जानी चाहिए थी, इसलिये आदेश दिनांक 27.09.2016 निरस्त किये जाने योग्य है।

आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार आवेदक अपनी भूमि का विक्रय बीमारी का इलाज कराने हेतु तथा पारिवारिक आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु भूमि विक्रय अनुमति पर शीघ्र विचार होना बताया गया। प्रकरण में देखना है कि आवेदक वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने हेतु पात्र है

अथवा नहीं आवेदक द्वारा विक्रय की जाने वाली भूमि स्व–अर्जित भूमि है। और आवेदित भूमि आवेदक के भूमिस्वामी हक में दर्ज है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टेधारी पट्टे की शर्तो का पालन करते हुये दस वर्ष व्यतीत होने पर भूमि स्वामी बन जाता है जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

6– प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदक के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, आवेदक नायक जाति का सदस्य है, जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है संहिता की धारा 165 (7–ख) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमि स्वामी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदक ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है आवेदक ने भूमि विक्रय करने का अनुबंध शासकीय गाईड लाईन के अनुसार विजय सिंह मीणा पुत्र रामरूप मीणा से के साथ किया है जो शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के अनुसार विक्रय मूल्य देने को तैयार है परिणामतः आवेदक को स्वअर्जित एवं भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नजर नहीं आती किन्तु कलेक्टर श्योपुर ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 210/2015–16/बी–121 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को ग्राम गोठरा तहसील व जिला श्योपुर में स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 156/1 रकवा 1.040 है0 यानि 5 बीघा भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

सदस्य